दिनांक 10.04.2014 को विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में झारखण्ड स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन सोसाईटी **(JSWSMS)** की शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार
2. अपर मुख्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड
4. अपर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, झारखण्ड
5. विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड
6. विशेष सचिव सह निदेशक, ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड
7. अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड
8. मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड
9. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड
10. उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
11. उप सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड
12. निदेशक, दूरदर्शन, राँची
13. उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड
14. राज्य सूचना पदाधिकारी, NIC, झारखण्ड
15. Water, Sanitation & Hygiene Specialist, UNICEF, Ranchi

बैठक की कार्यवाही :–

विभागीय विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को सूचना दी गयी कि भारत सरकार एवं विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से झारखण्ड सहित अन्य तीन राज्यों (उत्तरप्रदेश, बिहार एवं असम) में ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता परियोजना (RWSSP-LIS) संचालित किया जायेगा। उक्त परियोजना अन्तर्गत झारखण्ड को छह वर्षों में लगभग रू0 900 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु शासी निकाय की बैठक का आयोजन किया गया है।

प्रस्ताव संख्या–1

भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत PIP के अनुसार उक्त परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है। प्राप्त PIP पर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है।

– उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या–2

JSWSMS अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत पदाधिकारियों/विशेषज्ञों/कर्मचारियों के बेहतरी हेतु मानव संसाधन नियमावली कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है जो Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) के HR Manual के आधार पर तैयार किया गया है जिस पर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है।

– शासी निकाय के सदस्य प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का वार्षिक Appraisal किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाय तथा उसके आधार पर वार्षिक वेतन/Professional Fee की वृद्धि 10 प्रतिशत तक किया जाय तथा उक्त प्रस्ताव को **HR Manual** में जोड़ दिया जाय, इस प्रस्ताव

में आवश्यक संशोधन के बाद संशोधित HR Manual को शासी निकाय की स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार से इस पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या–3

JSWSMS के कार्यकारी समिति के Vice-President सह सदस्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक/संयुक्त सचिव सह निदेशक, विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता परियोजना होते हैं। वर्त्तमान में विशेष सचिव सह निदेशक विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता परियोजना का कार्य देख रहे हैं। उक्त परियोजना के वित्तीय कार्यों के सफल एवं ससमय निष्पादन के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Powers) किया जाना है जिस पर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है।

–शासी निकाय के सदस्य प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग एवं अपर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा विचार व्यक्त किया गया वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Financial Power) में आवश्यक सुधार किया जाय जिसमें President, EC के शक्तियों में वृद्धि किया जाए। संशोधित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Financial Power) पर शासी निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या–4

भारत सरकार से प्राप्त Project Implementation Plan (PIP) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 का Annual Work cum Procurement Plan तैयार किया गया है, जिसपर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है।

– बैठक में सूचित किया गया कि भारत सरकार से प्राप्त PIP के आधार पर ही वित्तीय वर्ष 2014–15 Annual cum Procurement Plan तैयार किया गया है। इस पर शासी निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या–5

ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता परियोजना अन्तर्गत बैच–1 में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर शासी निकाय की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। वर्त्तमान में परियोजना अन्तर्गत प्रकाशित 7 SMVS (Udikel, Kanti, Itagarh, Lapodumaria, Dudrakamalpur, Karamkita and Satbarwa) एवं 2 LMVS (Chotagovindpur & Bagbera) एवं SVS पर State Level Scheme Sanctioning Committee से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। Batch-1 में लिये जाने वाली योजनाओं पर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है।

– विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा बताया गया कि बैच–1 अन्तर्गत ली गई योजनाओं की विस्तृत विवरणी पर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है, जिसपर शासी निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या–6

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए अनुमोदित पद उपनिदेशक (वित्त) जो प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार पर राज्य वित्त सेवा अथवा महालेखाकार, झारखण्ड से लेना है, जिसका ग्रेड–पे 7600 का था परन्तु महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ग्रेड–पे का पद उप सचिव स्तर का है जो भारत सरकार द्वारा ही प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए प्रस्ताव है कि ग्रेड–पे 7600 को शिथिल करते हुए ग्रेड–पे 6600 या 5400 वाले पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है जिसपर शासी निकाय की स्वीकृति अपेक्षित है।

– विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि इस परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना किया गया है जिसमें उप निदेशक (वित्त) का पद रखा गया है जिसे प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार पर राज्य वित्त सेवा अथवा महालेखाकार, झारखण्ड के पदाधिकारी से भरा जायेगा, जिनका ग्रेड पे– 7600 हो। इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के कार्यालय को विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुरोध पत्र भेजा गया था जिस पर उनके द्वारा सूचित किया गया है कि इस ग्रेड–पे का पद भारत सरकार के उप सचिव के स्तर का होता है जो भारत सरकार द्वारा ही प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव है कि ग्रेड–पे 7600 को शिथिल करते हुए ग्रेड–पे 6600 या 5400 वाले पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है साथ ही शासी निकाय के सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि अगर किसी परिस्थितिवश उक्त कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार पर पदाधिकारी नहीं दिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में ग्रेड–पे 6600 या 5400 से सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अनुबंध पर रखने का अनुमोदन दिया जाय।

इस प्रस्ताव के आलोक में शासी निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–7

झारखण्ड मंत्रीपरिषद से उक्त परियोजना की स्वीकृति के आलोक में संकल्प संख्या–SWSM/WB/Cabinet Note-63/13 Part-232 दिनांक 19.10.13 के अनुसार निदेशक के पद पर AIS के सदस्य जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में JS/AS/SS रैंक के पदाधिकारी तथा जिनका ग्रेड–पे ≥8900 है होंगे। उक्त के आलोक में सभी सदस्यों को सूचित किया गया कि वर्त्तमान में विभाग के विशेष सचिव ही निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं वे इस पद की सभी अर्हता पूरी करते हैं।

– इस पर सर्वसम्मति से शासी निकाय द्वारा अगले आदेश तक विशेष सचिव को निदेशक के दायित्वों के निर्वहन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

15.4.14

(सुधीर प्रसाद)
विकास आयुक्त
झारखण्ड सरकार

ज्ञापांक - JSWSM/WB/Society-150/2014-102 राँची, दिनांक - 16.4.14

प्रतिलिपि :
1. विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड/अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, राँची/निदेशक, आकाशवाणी, राँची/निदेशक, दूरदर्शन, राँची/Water, Sanitation & Hygiene Specialist, UNICEF, Ranchi
को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव सह निदेशक
ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।